भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1091

सोमवार, 27 जुलाई, 2015/5 श्रावण, 1937 (शक)

एमएसएमई क्षेत्र के लिए पेंशन योजना

1091. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कर्मचारियों के लिए कोई कल्याण या पेंशन योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एमएसएमई क्षेत्र के कर्मचारियों को वर्तमान में कौन-कौन से सेवानिवृत्ति लाभ मिल रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न एमएसएमई क्षेत्रों के कर्मचारियों से पेंशन योजना के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या सरकार का हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कल्याण योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ङ): सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) में नियोजित कामगारों सहित कामगारों को पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने

(i) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952

(iv) उपदान संदाय अधिनियम, 1972

(v) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

सहित विभिन्न अधिनियम अधिनियमित किए हैं।

इन अधिनियमों के अंतर्गत लाभ संबंधित अधिनियमों में निर्धारित न्यूनतम सीमा के अनुसार शामिल करने योग्य कामगारों, एमएसएमई क्षेत्र के कामगारों सहित, को उपलब्ध हैं।

(च): हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए कल्याण योजना लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) की कतिपय सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का प्रस्ताव विचाराधीन है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 928

सोमवार, 27 जुलाई, 2015/ 5 श्रावण, 1937 (शक)

ईपीएफ की कायिक निधि

928. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की कायिक निधि में से 5 प्रतिशत राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की प्रतिभूतियों और प्राइवेट इक्विटी में निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ऐसे निवेश से प्राप्त लाभांश को ईपीएफ की कायिक निधि में शामिल किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): सरकार द्वारा विहित निवेश पद्धति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निवेश करता है। 23 अप्रैल,2015 को अधिसूचित निवेश पद्धति के अनुसार ईपीएफओ को केन्द्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में न्यूनतम 45% और अधिकतम 50% निवेश करने की अनुमति दी गई है।

इस निवेश पद्धति में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही निकायों की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दी गई है। तथापि, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने प्रतिभूति एवं अन्य संबंधित निवेशों में केवल विनिमय व्यापार निधि (ईटीएफ) के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में अधिकतम 5% तक की निवेश सीमा तय की है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अभी तक ईटीएफ में कोई निवेश नहीं किया है। ईटीएफ में निवेश के माध्यम से प्राप्त किया गया लाभांश ईपीएफ की कायिक निधि में जोड़ दिया जाएगा।

(ग): उपुर्यक्त भाग (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 986

सोमवार, 27 जुलाई, 2015/ 5 श्रावण, 1937 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का प्रस्ताव

986. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने ईपीएफ के मुद्दों पर चर्चा की है;

(ख) एक वर्ष में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा क्या-क्या सब से सफल और लाभप्रद सुझाव या प्रस्ताव दिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): जी हां।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 11 के अनुसार केन्द्रीय न्यायी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि से अपेक्षित है ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम एक बार बैठक आयोजित करें।

(ग): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का प्रत्येक सुझाव और प्रस्ताव बहुमूल्य है। तथापि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा हाल ही में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं: (i) शेयर में भागीदारी की अनुमति; (ii) पोर्टफोलियो प्रबंधकों का अनुमोदन; (iii) ई-गवर्नेंस पहलों के संबंध में निर्णय (ओरेकल डाटाबेस, आदि का अनुमोदन); (iv) कार्य को तुरंत पूरा कराने के लिए विभिन्न उप-समितियों का गठन; (v) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधनों के संबंध में सुझाव।

(घ) और (ङ): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित और सरकार को भेजे गए प्रस्तावों पर उचित रूप से विचार किया जाता है तथा अनुमोदन किया जाता है। सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शामिल हैं: (i) दावों के निपटान की सीमा को 30 दिन से घटाकर 20 दिन करना (ii) भविष्य निधि के सदस्यों को सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) का आबंटन; (iii) स्थापनों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ऑनलाइन पंजीकरण, आदि।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1141

सोमवार, 27 जुलाई, 2015/ 5 श्रावण, 1937 (शक)

भविष्य निधि और पेंशन के लंबित मामले

1141.श्री के.अशोक कुमार:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन के लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) कुल कितने मामले पंजीकृत और निपटाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कुल 95,712 दावे (जो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त कुल दावों का 0.62 प्रतिशत है) निपटान के लिए लंबित थे। ये सभी दावे 30 दिन से कम समय से लंबित थे।

(ख): निपटान हेतु लंबित इन मामलों के राज्यवार विवरण अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ग): वर्ष 2014-15 के दौरान निपटान के लिए कुल 153.32 लाख दावे प्राप्त (या पिछले वर्ष से लिए गए थे) हुए थे, जिनमें से 152,36 लाख दावों का निपटान किया गया था।

****

अनुबंध

श्री के. अशोक कुमार द्वारा भविष्य निधि और पेंशन मामलों के संबंध में दिनांक 27.07.2015 पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1141 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार

निपटान के लिए लंबित मामलों के राज्यवार विवरण

31 मार्च, 2015 तक

क्रम संख्या	राज्य	मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना शामिल हैं)	3,190
2	बिहार	244
3	छत्तीसगढ़	131
4	दिल्ली	261
5	गोवा	537
6	गुजरात (दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली शामिल हैं)	7,317
7	हरियाणा	15,721
8	हिमाचल प्रदेश	1,170
9	झारखंड	121
10	कर्णाटक	1,050
11	केरल (लक्षद्वीप शामिल हैं)	4,057
12	मध्य प्रदेश	4
13	महाराष्ट्र	30,199
14	असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम के राज्य	380
15	ओडिशा	135
16	पंजाब (चंडीगढ़ भी शामिल है)	161
17	राजस्थान	312
18	तमिलनाडु (पुडुचेरी शामिल हैं)	29,726
19	उत्तराखंड	249
20	उत्तर प्रदेश	471
21	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में शामिल हैं)	276
	कुल	**95,712**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2299

सोमवार, 3 अगस्त, 2015/12 श्रावण, 1937 (शक)

कंपनियों द्वारा चूक

2299. श्री दलपत सिंह परस्ते:

श्री गोपाल शेट्टी:

श्री आर. ध्रुवनारायण:

श्री सी.आर. चौधरी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कंपनियों के प्रबंधनों द्वारा अपनी भविष्य निधि विवरणियां समय पर प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं जिसके कारण कामगार पीडित हो रहे हैं क्योंकि उनको उनके अंशदान के भुगतान की रसीदें नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो चूककर्ता कंपनियों का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान इसके अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि शामिल है;

(ग) देश में दोषी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में चूककर्ताओं से वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) लाभार्थी परिवारों को ई.पी.एफ. वितरण में असाधारण विलंब के संबंध में सरकार को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): भविष्य निधि (पीएफ) विवरणियां समय पर जमा न करने के कुछ मामले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के संज्ञान में आए हैं। ऐसा इस कारण से हुआ है कि पूर्व में प्रतिष्ठानों को अंशदान पहले जमा करना होता था तथा विवरणी कर्मचारी भविष्य निधि

एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाई गई योजनाओं में निर्धारित समय के अंदर जमा करनी होती थी। इसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठानों द्वारा जमा किया गया धन सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में क्रेडिट नहीं किया जा सका। इस मामले को सुलझाने के लिए ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से इलेक्ट्रोनिक चालान-सह-विवरणी (ईसीआर) प्रारम्भ की जिसमें ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को अंशदान का भुगतान तथा विवरणी साथ-साथ जमा करने होते हैं। ईपीएफओ को अंशदान प्राप्त हो चुके मामलों में विवरणी जमा न करने का कोई मामला नहीं मिला है।

(ख) और (ग): विवरणियां जमा न करने के लिए चूककर्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले स्वीकृत एवं दायर किए गए हैं। तथापि, ईपीएफओ दायर अभियोजन मामलों में शामिल राशि के आंकड़े नहीं दर्ज करता है। गत पांच वर्षों के दौरान दायर अभियोजन मामलों की संख्या का राज्य-वार विवरण अनुबंध पर है।

(घ) और (ङ): 2014-15 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि इंटरनेट शिकायत प्रबंधन पद्धति (ईपीएफआईजीएमएस) में प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि वितरण में असामान्य विलंब से संबंधित शिकायतों सहित सभी प्रकार की शिकायतों की संख्या 1,84,481 है। इनमें से अधिकतर शिकायतों का 15 दिन के अंदर उत्तर दिया जाता है। 2014-15 के दौरान 1,82,321 मामले निपटा दिए गए तथा 31.03.2015 को केवल 2,160 मामले निपटान हेतु लंबित थे।

*****

*

अनुबंध

कंपनियों द्वारा चूक के संबंध में श्री दलपत सिंह परस्ते, श्री गोपाल शेट्टी, श्री आर. ध्रुवनारायण और श्री सी.आर. चौधरी द्वारा दिनांक 03.08.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2299 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

गत पांच वर्षों के दौरान विवरणियां जमा न करने के लिए चूककर्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत दायर अभियोजन मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित	98	41	114	258	0
बिहार	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	1	0	0	10
दिल्ली	0	0	3	0	9
गोवा	0	0	0	0	0
गुजरात, दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली सहित	31	93	12	4	40
हरियाणा	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	4
झारखण्ड	0	0	0	0	3
कर्नाटक	56	66	7	7	12
केरल, लक्षद्वीप सहित	1	0	0	1	9
मध्य प्रदेश	45	0	24	7	1
महाराष्ट्र	409	1427	86	132	5
पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित	0	0	57	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0
पंजाब, चंडीगढ़ सहित	35	108	14	5	2
राजस्थान	0	0	0	0	0
तमिलनाडु, पुडुचेरी सहित	3	5	0	0	2
उत्तर प्रदेश	3	28	0	0	0
उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम सहित	157	68	0	0	9
कुल	**838**	**1837**	**317**	**414**	**106**

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2204

सोमवार, 3 अगस्त, 2015/ 12 श्रावण, 1937 (शक)

ईपीएफ पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज

2204. श्री पी.वी. मिदून रेड्डी:

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:

श्री पी.आर. सुन्दरम:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईपीएफ पेंशनधारकों हेतु कार्यान्वित न्यूनतम पेंशन योजना का विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन पेंशनधारकों, जो अपनी पेंशन को कम्यूट करते हैं, कि पेंशन को उनकी मृत्यु तक घटाने का है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने पेंशनधारकों से परिवर्तित राशि की वसूली हेतु योजना प्रतिपादित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि कई कारणों से सभी पेंशनधारकों को न्यूनतम पेंशन रु 1000/- के पेंशन का संवितरण नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने पेंशनधारकों को चिकित्सा सुविधाएं देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाभान्वित होने वाले पेंशनधारकों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ईपीएफओ और ईएसआईसी पर लागू नामांकरण और नियमों को परिवर्तित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी हाँ।

(ख): सा.का.नि. 688(अ.) दिनांक 26.09.2008 के माध्यम से कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 से सारांशीकरण का विकल्प वापस लिया गया था। ईपीएस, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत सारांशीकृत(कम्यूटेड) पेंशन आजीवन प्रभावी थी। पेंशन का सारांशीकृत मूल्य का भुगतान दावे के समय ही किया गया था। सारांशीकृतपेंशन की कोई वापसी नहीं हुई थी। चूंकि सारांशीकृत पेंशन आजीवन है, इसलिए सारांशीकृत राशि की वसूली की कोई स्कीम नहीं है।

(ग): सा.का.नि. 593(अ.) दिनांक 19.08.2014 के माध्यम से न्यूनतम पेंशन अधिसूचना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 1,000/- रुपये प्रतिमाह से कम मूल पेंशन वाले सभी सदस्य/विधवा (विदुर)/अपंग/नामिती/आश्रित माता-पिता पेंशनधारियों की पेंशन न्यूनतम 1,000/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी। जिन मामलों में सदस्यों ने सारांशीकरण, पूंजी के प्रतिफल तथा अल्प सेवा पेंशन का विकल्प चुना था तथा पेंशन का दावा करते समय उनके द्वारा अपनी इच्छा से इन लाभों का पहले ही फायदा उठाया गया है, तो इन विकल्पों के कारण की जाने वाली कटौतियां अब नियत की गई 1,000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन पर लागू रहेगी। इन मामलों में पेंशन की राशि अधिसूचना के कार्यान्वयन के बाद भी 1,000/- रुपये प्रतिमाह से कम होगी।

(घ): वर्तमान में ईपीएस, 1995 के पेंशनधारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की नामावली में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इन दोनों अधिनियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2280

सोमवार, 3 अगस्त, 2015/ 12 श्रावण, 1937 (शक)

ई.पी.एस. -95 के अंतर्गत पेंशनर

2280. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:
श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:
श्री एस.आर. विजय कुमार:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार ई.पी.एस. -95 के अंतर्गत पंजीकृत ईपीएफओ सदस्यों और पेंशनरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2000 से 31 मार्च, 2015 तक वर्ष-वार पेंशनरों को पेंशन के रूप में दी गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना में इसके लगभग आधे सदस्यों की जन्म तिथि नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और ईपीएफओ सदस्यों की जन्म तिथि संग्रहित करने के लिए क्या कदम प्रारंभ किए गए हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों से ईपीएफओ निष्क्रिय खातों में कुल राशि कितनी है;

(ङ) क्या नौकरियां बदलने वाले और ईपीएफओ को सूचित न करने वाले ऐसे कर्मचारियों या मृत सदस्यों के परिवार और इनके रिश्तेदारों को खोजने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं, जिन्होंने अपनी बकाया राशि नहीं ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यास बोर्ड की वर्तमान संरचना क्या है, क्या हाल ही में सीबीटी संरचना में कोई परिवर्तन किया गया है और किए गए परिवर्तन के क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों तथा पेंशनरों का विवरण निम्नानुसार है:

i. सदस्य खाते-15,08,85,586
ii. अंशदान देने वाले सदस्य - 3,56,53,006
iii. पेंशनर- 51,04,397

(ख) ईपीएस, 1995 के अंतर्गत 2000 से 31.3.2015 तक पेंशनरों को पेंशन के रूप में भुगतान की राशि का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये)
2000-2001	777.52
2001-2002	995.89
2002-2003	1209.63
2003-2004	1496.88
2004-2005	1717.92
2005-2006	1955.95
2006-2007	2324.23
2007-2008	2727.97
2008-2009	3120.84
2009-2010	3488.40
2010-2011	3839.48

जारी..2/-

2011-2012	4473.46
2012-2013	5160.61
2013-2014	5787.36
2014-2015	7212.53 (अनंतिम)

(ग) फिलहाल ईपीएस, 1995 के अंतर्गत अधिकतर सदस्य पेंशनरों की जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है। तथापि, ईपीएस, 1995 के अंतर्गत काफी संख्या में पेंशनरों के आंकड़े अब सार्विक खाता संख्या (यूएएन) पोर्टल पर दर्ज हैं।

(घ) गत तीन वर्षों में निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत कुल राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये)
2011-12	22,636.57
2012-13	26,496.61
2013-14	27,448.54

(ङ) निष्क्रिय खाताधारकों की पहचान करने तथा उपयुक्त दावेदारों को भविष्य निधि संचयी राशि लौटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) ईपीएफओ ने हाल ही में सदस्यों को अपने निष्क्रिय खातों की पहचान करने में सहायता हेतु 'निष्क्रिय खाता ऑनलाइन हेल्प डेस्क' नामक पोर्टल प्रारम्भ किया है।

(ii) निष्क्रिय खातों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने तथा नियोक्ताओं के माध्यम से लाभार्थियों की ओर पहचान करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

(iii) ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को सार्विक खाता संख्या (यूएएन) नामक विशिष्ट स्थायी संख्या आबंटित की है जो नियोक्ता की सहायता के बिना सदस्यों की पहचान करने में सक्षम बनाएगी।

(iv) सदस्यों को शिक्षित करने के लिए समय-समय पर इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

इसके परिणामस्वरूप, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार गत तीन वर्षों में निष्क्रिय खातों के कुल निपटान में वृद्धि हुई है:-

वर्ष	निपटाई गई राशि (करोड़ रुपये)
2011-12	955.51
2012-13	2890.40
2013-14	4316.71

(च) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 19) की धारा 5क के अनुसार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का वर्तमान संघटन निम्नानुसार है:-

i.	अध्यक्ष	-01
ii.	उपाध्यक्ष	- 01
iii.	केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि	- 05
iv.	राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	- 15
v.	नियोक्ता प्रतिनिधि	- 10
vi.	कर्मचारी प्रतिनिधि	- 10
vii.	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सदस्य सचिव (पदेन))	01
	कुल:	**43**

सरकार द्वारा सीबीटी, ईपीएफ के वर्तमान संघटन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 299

सोमवार, 10 अगस्त, 2015/19 श्रावण, 1937 (शक)

इक्विटी में कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश

*299. श्री एम. उदयकुमार:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को उसकी कायिक निधि के 5 प्रतिशत भाग को एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में निवेश करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अनुमानित जमा राशि कितनी है;

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार इक्विटी बाजार में कायिक निधि के निवेश का प्रतिशत कितना है; और

(घ) स्टॉक बाजार की अनिश्चितता से कर्मचारियों/अंशदाताओं की मेहनत की कमाई को सुरक्षित और अप्रभावित रखना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

*

इक्विटी में कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश से संबंधित श्री एम. उदयकुमार द्वारा दिनांक 10.08.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 299 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जी, हां। भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निवेश हेतु अधिसूचना संख्या 1071(अ) दिनांक 23 अप्रैल, 2015 द्वारा नई निवेश पद्धति अधिसूचित की है। निवेश की इस पद्धति में न्यूनतम 5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक निवेश इक्विटी और संबद्ध निवेश में किया जाना निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत एक्सचेंज ट्रेड फंड्स (ईटीएफ) लिखत आता हो।

(ख): उक्त निवेश की पद्धति, 2015 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निवेश हेतु 01 जुलाई, 2015 से कार्यान्वित की गई है। ईपीएफओ की जमा राशियों की अनुमानित धनराशि इस प्रकार है:

वर्ष	जमा राशि
2014-15	शून्य
2015-16	5,000 करोड़ रुपये (लगभग)

(ग): वित्त मंत्रालय द्वारा 02 मार्च, 2015 को अधिसूचित निवेश की इस पद्धति में न्यूनतम 5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक निवेश इक्विटी और संबद्ध निवेश में किया जाना निर्धारित किया गया है।

(घ): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने 31.03. 2015 को हुई अपनी 207वीं बैठक में सरकार को उक्त निवेश पद्धति की सिफारिश करते हुए केवल एक्सचेंज ट्रेड फंड्स (ईटीएफ) में श्रेणी (iv) अर्थात् इक्विटी एवं संबद्ध निवेशों में निवेश करने का निर्णय लिया। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने यह भी विनिर्दिष्ट किया कि आरंभ में निवेश की शुरूआत एक प्रतिशत से होगी और बाद में वह वित्तीय वर्ष के अंत तक 5 प्रतिशत तक निवेश करेगा।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3438

सोमवार, 10 अगस्त, 2015/ 19 श्रावण, 1937 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजनाएं

3438. श्रीमती हेमामालिनी:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती एम. वसन्ती:
श्रीमती आर.वनरोजा:
श्री एस. आर. विजयकुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी पेंशन निधि योजना, 1995 हेतु कोई समिति गठित की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन हेतु क्या समय-सीमा तय की गई है;

(ग) क्या सरकार पेंशन निधि बढ़ाने हेतु कर्मचारी पेंशन निधि योजना, 1995 को संशोधित करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ईपीएस-95 के अंतर्गत कुल पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या ईपीएफओ ने अपनी पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए एनपीएस के अंतर्गत बेहतर लाभ पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो अंशदाता को उनकी जमा राशि पीएफ खातों में रखने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु खोजे गये विकल्पों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों में ईपीएफओ के अंतर्गत (सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु) पेंशन आहरण का प्रावधन बनाया गया है उनके नाम क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसने अन्य बातों के साथ-साथ ईपीएस,1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1000/-रुपये न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की सिफारिश की थी और

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत कवरेज हेतु मजदूरी छत्र को 6500/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10000/- रुपये प्रतिमाह तक किया था। सरकार ने तब से 1000/- रुपये न्यूनतम पेंशन सदस्य/अशक्त/विधवा/विधुर/माता-पिता/नामित पेंशनभोगियों को और 250/- रुपये प्रतिमाह बाल पेंशनभोगियों को तथा 750/- रुपये प्रतिमाह अनाथ पेंशन भोगियों के लिए कार्यान्वित किया है तथा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज हेतु मजदूरी छत्र को 6500/- रुपये से बढ़ाकर 15000/-रुपये तक कर दिया है।

(ग) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 को सुदृढ करने के लिए इसमें समय-समय पर आशोधन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में ईपीएस 1995 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं:

i. ईपीएस, 1995 अंशदान के लिए मजदूरी की सीमा को 6500/- रुपये से बढ़ाकर 15000/- प्रतिमाह रुपये कर दिया गया है।

ii. पेंशन का निर्धारण कर्मचारी के निवृत्त होने से पूर्व 60 माह के वेतन के औसत के आधार पर किया जाता है, न कि पूर्ववर्ती 12 माह के वेतन के आधार पर ।

iii. मजदूरी सीमा में बढ़ोत्तरी होने पर वेतन में अंशदान करने के विकल्प को हटा दिया गया है।

iv. वैसे सदस्य जो मजूदरी सीमा में बढ़ोत्तरी होने पर वेतन में से अंशदान कर रहे थे उनसे नया विकल्प देना और सरकारी अंशदान के मामले में मजदूरी सीमा में बढ़ोत्तरी होने पर वेतन के 1.16% का अंशदान करना अपेक्षित है।

v. ईपीएस, 1995 के अंतर्गत दिनांक 31.08.2014 तक सेवा हेतु समानुपातिक आधार पर पेंशन एवं निकासी लाभ का निर्धारण 6500/-रुपये प्रतिमाह और इसके पश्चात 15000/- रुपये प्रतिमाह की मजदूरी सीमा के आधार पर किया जाना है।

vi) ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पात्रता अंशदायी सेवा के आधार पर निर्धारित की जाती है, न कि पूरी सेवा की अवधि पर।

vii) ईपीएस, 1995 के अंतर्गत विधवा पेंशन सूची (तालिका ग) को 15000/- रुपये प्रतिमाह के संशोधित वेतन सीमा तक बढ़ाया गया है।

दिनांक 31.03.2015 के अनुसार ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों की कुल संख्या 51,04,397 (अनंतिम) है।

(घ) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत सेवारत कर्मचारियों के आहरण के प्रावधान किए गए है, संलग्न है।

* *****

अनुबंध

कर्मचारी पेंशन स्कीम के संबंध में श्रीमती हेमा मालिनी, श्रीमती भावना पुंडलीकरात गवली पाटिल, श्री कुरूपल बाला जी तुमाने, श्रीमती बांसंधी एम. , श्रीमती तवरोजा आर., श्री एस.आर.विजयकुमार दिनांक 10.08.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3438 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस),1995 के अंतर्गत पेंशन संवितरण करने वाले एजेंसियों की सूची

क्रम संख्या	ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय	पेंशन का वितरण करने वाले बैंक
1	दिल्ली (उत्तर)	पीएनबी, एसबीआई, आईबी, यूबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस
2	दिल्ली (दक्षिण)	पीएनबी, एसबीआई, आईबी, यूबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस
3	देहरादून	पीएनबी, एसबीआई
4	गुडगाँव	पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस
5	फरीदाबाद	पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस
6	जयपुर	पीएनबी, थार ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीबीजे
7	शिमला	पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस
8	लुधियाना	पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस
9	चंडीगढ़	पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
10	बिहार	पीएनबी, बीओआई, एचडीएफसी
11	मेरठ	पीएनबी, एसबीआई
12	कानपुर	पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस
13	हैदराबाद	एसबीआई, यूबीआई, आंध्रा बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
14	गुंटूर	एसबीआई, एबी, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
15	निजामाबाद	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एबी, एक्सिस
16	भुवनेश्वर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस,आईसीआईसीआई
17	बंगलौर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा, सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
18	गोवा	एसबीआई, बीओआई, एचडीएफसी
19	गुलबर्गा	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा, सिंडिकेट बैंक, आईसीआईसीआई, कॉरपोरेशन बैंक
20	मंगलौर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा, सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक,

		ऐक्सिस
21	पीनिया	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
22	कोयंबटूर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबी, आईओबी, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
23	केरल	पीएनबी, एसबीआई, आईबी, आईओबी, केनरा, सिंडिकेट बैंक बैंक, एफईडी बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, उत्तरी मालाबार ग्रामीण बैंक, एसबीटी
24	मदुरै	एसबीआई, आईबी, आईओबी, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
25	तांबरम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबी, आईओबी, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
26	चेन्नई	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबी, आईओबी, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
27	रांची	पीएनबी, बीओआई, यूबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
28	जलपाईगुड़ी	एसबीआई, यूबीआई, यूको, सीबीआई, यूबीकेजी बैंक
29	कोलकाता	पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
30	गुवाहाटी	एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
31	रायपुर	पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, सीबीआई,
32	बांद्रा	पीएनबी, एसबीआई, बीओआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईबी
33	ठाणे	पीएनबी, एसबीआई, बीओआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
34	कांदिवली	पीएनबी, एसबीआई, बीओआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
35	पुणे	पीएनबी, एसबीआई, बीओआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
36	नागपुर	पीएनबी, एसबीआई, बीओआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
37	अहमदाबाद	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना, एचडीएफसी
38	सूरत	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई
39	वडोदरा	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना, एचडीएफसी
40	इंदौर	पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई

विषय सूची

पीएनबी	-	पंजाब नेंशनल बैंक
एसबीआई	-	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
आईबी	-	इंडियन बैंक
यूबीआई	-	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एसबीबीजे	-	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
बीओआई	-	बैक ऑफ इंडिया
यूबीआई	-	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/ यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
एबी	-	आंध्रा बैंक
एसवाई	-	सिंडिकेट बैंक
आईओबी	-	इंडियन ओवरसीज बैंक
एसबीटी	-	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
सीबीआई	-	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बीओएम	-	बैंक आफ महाराष्ट्र
यूबीकेजी बैंक	-	उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3439

सोमवार, 10 अगस्त, 2015/ 19 श्रावण, 1937 (शक)

मजदूरी का भुगतान न करना

3439. श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री नाना पटोले:
श्री दुष्यंत चौटाला:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
कुंवर हरिवंश सिंह:
श्री कलिकेश ए. सिंह देव:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री सुधीर गुप्ता:
डॉ सुनील बलीराम गायकवाड़:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भविष्य निधि अधिनियम को संशोधित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में सरकार ने राज्य सरकारों और लघु और मध्यम उद्यमों से सुझाव आमंत्रित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सभी सुझावों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने की घटनायें और निजी कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों के खातों में उनके हिस्से का पीएफ नहीं जमा किये जाने की घटनायें महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से सरकार के संज्ञान में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं और उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने यूनिवर्सल खाता संख्या के माध्यम से ईपीएफओ के अंशधारकों के डाटाबेस के डिजीटाइजेशन का निर्णय किया है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा निश्चित की गई है और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) आज की तिथि के अनुसार श्रम सुविधा केन्द्र की स्थिति क्या है और अब तक कितने पंजीकरण किये गये हैं, कितने निरीक्षण किये गये हैं, शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सुलझा ली गई हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 में व्यापक संशोधन का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के अंतर्गत कवरेज के लिए कर्मचारियों की

न्यूनतम सीमा को 20 से कम करके 10 करना, अधिनियम के अंतर्गत कवरेज के लिए अनुसूची को हटाना, मजदूरी की परिभाषा का सरलीकरण आदि, बहुसदस्यीय ईपीएफ अपीलीय न्यायाधिकरण, "लघु स्थापनों" की एक नई श्रेणी (40 व्यक्तियों तक को नियोजित करने वाले), राष्ट्रीय पेंशन पद्धति (एनपीएस) का विकल्प चुनने पर स्थापन/स्थापन की श्रेणी/ व्यक्ति अथवा कर्मचारियों की श्रेणी को हटाना, आदि शामिल है।

उपर्युक्त सभी संशोधन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तथा इन पर विभिन्न पणधारियों अर्थात राज्य सरकारों, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय परामर्श के दो चरणों में विचार-विमर्श किया गया।

(ग) और (घ): जब कभी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के उपबंधों के उल्लंघन का मामला संबंधित तंत्र अर्थात केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) तथा राज्य क्षेत्र (महाराष्ट्र सहित) में राज्य प्रवर्तन तंत्र की जानकारी में आता है तो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है। अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इन तंत्रों के अधिकारी निरीक्षक के रुप में नियुक्त किए जाते हैं। वे नियमित रुप से निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने या कम भुगतान किए जाने के किसी मामले का पता चलने पर वे नियोक्ताओं को मजदूरी में होने वाली कमी का भुगतान करने की सलाह देते हैं। निरीक्षकों के सलाह की अनुपालना न करने के मामले में चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध अधिनियम में अभियोजन संबंधी उपबंध विद्यमान हैं।

इसके अतिरिक्त, जब कभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जानकारी में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के उपबंधों के उल्लंघन के मामले आते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है :-

i. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 की धारा 7क के अंतर्गत चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध बकायों के आकलन के लिए कार्रवाई की जाती है।
ii. इस अधिनियम की धारा 14 ख के अंतर्गत बकायों के जमा करने में हुए विलंब के कारण होने वाले नुकसान के लिए कार्रवाई की जाती है।
iii. अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत विलंब से किए गए भुगतान पर ब्याज लगाने की कार्रवाई की जाती है।
iv. इस अधिनियम की धारा 8 ख और 8 छ में यथाउल्लिखित वसूली की कार्रवाई की जाती है।
v. अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत चूककर्ताओं के अभियोजन हेतु सक्षम न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई है।
vi. भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से अंशदान काटने पर उस हिस्से को निधि में जमा न करने पर उस प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ङ.): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने विभिन्न अभिलेखों के डिजिटीकरण की प्रक्रिया शुरु की है तथा सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) कार्यक्रम डाटाबेसों की पूर्णता संबंधी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिनांक 25 जुलाई,2014 तक 4.17 करोड़ यूएएन का आरंभिक आवंटन किया गया था जो दिनांक 5 अगस्त,2015 को

बढ़कर अब 4.94 करोड़ हो गया है। हालांकि, यह एक सतत प्रक्रिया है इसलिए इस संबंध में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(च): दिनांक 16.10.2014 से आरंभ हुए श्रम सुविधा पोर्टल के अंतर्गत, निरीक्षणों/स्थापनों की कम्प्यूटरीकृत स्थिति (04.08.2015 की स्थिति के अनुसार) से यह पता चलता है कि 961586 श्रमिक पहचान संख्या (एलआईएन) आवंटित किए गए हैं। अब तक कुल 107409 निरीक्षण कार्य सौंपे गए हैं जिनमें से 95914 मामलों के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड कर दी गई हैं।

******